

**Government of India / Bharat Sarkar  
Ministry of Railways / Rail Mantralaya  
(Railway Board)**

**RBE No. 111**

No. F(E)I/2009/AL-7/1

New Delhi, dated 26.07.2011

The General Managers,  
All Indian Railways etc.  
(As per Standard Mailing List)

Sub: Recommendation of 6th Central Pay Commission - Grant of  
Conveyance Allowance at the revised rates to Railway Medical  
Officers.

-----

In the course of Vigilance check conducted on one of the Zonal Railways, it was found that payment of Conveyance Allowance to Railway Medical Officers has been made in some cases even though no certificate to the effect that he/she was drawing Conveyance Allowance in fulfillment of Condition No.5 of Board's letter No. F(E)I/2009/AL-7/1 dt. 24.7.09 had been furnished. In this context Condition No.5 & 6 of Board's aforesaid letter are reiterated below for strict observance:-

"5. For entitlement the maximum amount of Conveyance Allowance mentioned above in para (1), every Specialist/General Duty Medical Officer is required to pay on an average (to be computed for a three month period) a minimum of 20 visits in a month to the hospital or 20 domiciliary visits, outside his normal duty hours. Where, however, the number of domiciliary visits or visits to hospital falls short of this minimum limit of 20 but not below 6, there should be a proportionate reduction in the Conveyance Allowance, subject to minimum grant of Conveyance Allowance of Rs.160/-, Rs.80/- and Rs.60/- p.m. in the case of Specialists/Medical Officers referred to sub-para 1(i), (ii) and (iii) above respectively. In case of number of domiciliary visits or visits to the hospital falling below six in number, no Conveyance Allowance will be admissible.

Provided that the expression "minimum of 20 domiciliary visits in a month" would include visits performed in connection with official duties also, subject, however, to the condition that 50% of the total visits, the minimum being not less than six, must be domiciliary visits.

Provided further that the limit fixed for the minimum number of 20 visits will not, however, detract a Specialist/Medical Officer from his/her responsibility towards the patient to render visit to the hospital or paying domiciliary visits if the situation so warrants.

Contd...2/-

6. Every specialist/Medical Officer claiming Conveyance Allowance will have to furnish a certificate alongwith monthly pay bill to the effect that he/she is drawing Conveyance Allowance in fulfillment of condition No.5 above."

It may be ensured that in no case Conveyance Allowance to Railway Medical Officers should be paid without having obtained the requisite certificate.

2. Furthermore, clarifications have been sought by some of the Railways with regard to para 4 of Board's letter of even number dated 24.7.2009. The matter and the issue regarding admissibility of Conveyance Allowance to Railway Medical Officers who are eligible to staff car for their official duties has been examined in consultation with Ministry of Health and Family Welfare and clarifications in respect of these issues are as under.

**Para No. 4:** Calculation of the amount of Conveyance Allowance to be revised every year will be done in the following manner:

The rate of Conveyance Allowance for the period from 1.9.2009 to 31.8.2010 to be enhanced in proportion to the DA accrued from 1.9.2008 to 31.8.2009 will be as per illustration given below:

Conveyance Allowance as on 1.9.2008	..	Rs.3300/-
DA increased upto 31.8.2009	..	11%
Enhancement in Conveyance Allowance	..	Rs. 363/-
Revised rate of Conveyance Allowance	..	Rs.3663/-

The rate of Conveyance Allowance for the period 1.9.2009 to 31.8.2010 may be calculated, in the similar manner.

**Para No.5 (i):** The computation of three month period is to be calculated from 1.9.2008.

**(ii)** The minimum limit of rate of Conveyance Allowance for minimum 6 visits was mentioned in the order as per recommendations of 6<sup>th</sup> CPC. This minimum limit of amount mentioned in the order has no relevance since minimum amount for minimum 6 visits of Railway Medical Officers would be higher than the limit fixed by 6<sup>th</sup> CPC. Therefore, the condition fixing minimum amount for minimum 6 visits is deleted.

**(iii)** The Railway Medical Officers cannot limit their visits to 20 for the fact that they have become entitled for maximum amount. They have to make more visits than 20 for the same maximum amount of Conveyance Allowance if the situation warrants.

**Para 10:** In case of non-functioning of vehicle, the officer will be paid as per rate entitlement of those officers who do not maintain any vehicle subject to production of receipt for hiring of vehicle.

It is also clarified in supersession of Board's letter No. F(E)I/2006/AL-7/5 dated 27.03.2008 that Medical Officers who have been provided with official vehicles for performing official duties will not be entitled to grant of Conveyance Allowance for any domiciliary visits or official duties performed etc.

Hindi version is enclosed.

Please acknowledge receipt.

(This disposes of East Coast Railway's letter No. ECoR/Pers/Gaz/ Conveyance Allowance/55 dated 9.4.2010 and South East Central Railway's letter No. P/SECR/Ruling/P&A/Conveyance Allow.17296 dated 1.4.2010)

  
(S.SREERAM)  
Jt. Director Finance (Estt.)  
Railway Board.

No. F (E)I/2009/AL-7/1

New Delhi, dated 26.07.2011

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

  
For Financial Commissioner/Railways.

No. F (E)I/2009/AL-7/1

New Delhi, dated 26.07.2011

Copy forwarded to FA&CAO, All Indian Railways, Production Units etc.

  
(S.SREERAM)  
Jt. Director Finance (Estt.)  
Railway Board.

No. F(E)I/2009/AL-7/1

New Delhi, dated 26.07.2011

1. The G.M, N.F Railway (Const.), Southern Railway (Const.) and Central Railway (Const.)
2. FA&CAO, N.F. Railway (Const.), Central Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 111

सं. एफ (ई)I/2009/एएल-7/1

नई दिल्ली, दिनांक: 26.07.2011

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें आदि  
(मानक डाक सूची के अनुसार)

**विषय: छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को संशोधित दरों पर वाहन भत्ता प्रदान करना।**

एक क्षेत्रीय रेलवे पर की गई सतर्कता जांच के दौरान, यह पाया गया कि कुछ मामलों में रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को वाहन भत्ते का भुगतान किया गया है यद्यपि इस आशय का कोई प्रमाण-पत्र कि वह बोर्ड के दिनांक 24.07.2009 के पत्र सं. एफ(ई)I/2009/एएल-7/1 की शर्त सं. 5 को पूरा करते हुए वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे थे/रही थी, प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस संदर्भ में बोर्ड के उपर्युक्त पत्र की शर्त सं. 5 एवं 6 का सख्ती से अनुपालन करने के लिए इसे नीचे दोहराया गया है:-

"5. उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित वाहन भत्ते की अधिकतम राशि की पात्रता के लिए, प्रत्येक विशेषज्ञ/सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को अपने सामान्य ड्यूटी घंटों के अलावा एक माह में कम से कम 20 विजिट अस्पताल में अथवा 20 डोमिसिलरी विजिट करने के लिए औसतन भुगतान (तीन माह के लिए परिकल्पित किया जाए) किया जाना अपेक्षित है। तथापि, जहां डोमिसिलरी विजिट अथवा अस्पताल में विजिट की संख्या न्यूनतम 20 विजिट से कम हो लेकिन यह 6 विजिट से कम न हो वहां वाहन भत्ते में समानुपातिक कटौती की जाए, परंतु उपर्युक्त उप पैरा 1 (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों के मामले में क्रमशः ₹ 160/-, ₹ 80/- और ₹ 60/- प्रति माह न्यूनतम वाहन भत्ता प्रदान किया जाए। डोमिसिलरी विजिट अथवा अस्पताल में विजिट की संख्या 6 से कम होने पर कोई वाहन भत्ता अनुमेय नहीं होगा।

यह प्रावधान होगा कि "एक माह में कम से कम 20 डोमिसिलरी विजिट" में कार्यालय ड्यूटी के संबंध में की गई विजिट भी शामिल होगी लेकिन शर्त यह है कि कुल विजिटों की 50% विजिट डोमिसिलरी विजिट होनी चाहिए और यह न्यूनतम 6 विजिट से कम नहीं होनी चाहिए।

यह भी प्रावधान होगा कि 20 विजिटों की न्यूनतम संख्या के लिए निर्धारित सीमा की वजह से विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी अस्पताल में विजिट करने अथवा आवश्यक होने पर डोमिसिलरी विजिट करने के कारण रोगी के प्रति अपनी जिम्मेदारी में कमी नहीं आने देंगे।

6. वाहन भत्ता दावा करने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को मासिक वेतन बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह उपर्युक्त शर्त सं. 5 को पूरा करते वाहन भत्ता ले रहे/रही हैं।"

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी वाहन भत्ते का भुगतान कदापि न किया जाए।

2. इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 24.07.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 के संबंध में कुछ रेलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। रेलवे चिकित्सा अधिकारी जो अपनी सरकारी ड्यूटी के लिए स्टाफ कार के पात्र हैं, को वाहन भत्ते की स्वीकार्यता के मुद्दे की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है और इन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे दिए अनुसार हैं।

**पैरा सं. 4:** प्रत्येक वर्ष संशोधित किए जाने वाले वाहन भत्ते की राशि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

01.09.2009 से 31.08.2010 तक की अवधि के लिए वाहन भत्ते की दर में 01.09.2008 से 31.08.2009 तक प्रदत्त महंगाई भत्ते के समानुपात में की जाने वाली वृद्धि नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी:-

01.09.2008 को वाहन भत्ता	..	₹ 3300/-
31.08.2009 तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता	..	11%
वाहन भत्ते में वृद्धि	..	₹ 363/-
वाहन भत्ते की संशोधित दर	..	₹ 3663/-

01.09.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए वाहन भत्ते की दर की गणना इसी तरीके से की जाए।

**पैरा सं. 5 (i):** तीन महीने की अवधि की गणना 01.09.2008 से की जानी है।

(ii) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आदेश में कम से कम 6 विजिटों के लिए वाहन भत्ते की दर की न्यूनतम सीमा का उल्लेख किया गया था। आदेश में उल्लिखित राशि की यह न्यूनतम सीमा संगत नहीं है क्योंकि रेलवे चिकित्सा अधिकारियों की कम से कम 6 विजिटों के लिए न्यूनतम राशि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होगी। अतः कम से कम 6 विजिटों के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि की शर्त को हटा दिया गया है।


(iii) रेलवे चिकित्सा अधिकारी इस कारण से कि वे अधिकतम राशि के लिए पात्र हो गए हैं, अपनी विजिटों को 20 विजिट तक सीमित नहीं कर सकते। यदि आवश्यक हो तो उन्हें वाहन भत्ते की इस अधिकतम राशि पर 20 से अधिक विजिट करने होंगे।

**पैरा 10:** वाहन के खराब होने की स्थिति में अधिकारी को उन अधिकारियों जो कोई भी वाहन नहीं रखते, की पात्रता दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा, बशर्ते वे वाहन को किराए पर लेने की रसीद दिखाएं।

बोर्ड के दिनांक 27.03.2008 के पत्र सं. एफ(ई)I/2006/एएल-7/5 के अधिक्रमण में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे चिकित्सा अधिकारी जिन्हें सरकारी ड्यूटी करने के लिए सरकारी वाहन मुहैया करवाए गए हैं, किसी डोमिसिलरी विजिट अथवा की गई सरकारी ड्यूटी आदि के लिए वाहन भत्ता प्रदान करने के पात्र नहीं होंगे।

कृपया पावती दें।

(इससे पूर्व तट रेलवे के दिनांक 09.04.2010 के पत्र सं. ईसीओआर/पीईआरएस/गज./कन्वेंस एलाउंस /55 एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दिनांक 01.04.2010 के पत्र सं. पी/एसईसीआर/रूलिंग/पी एंड ए/कन्वेंस एलाउंस का निपटारा हो जाता है)।

  
(एस.श्रीराम)

संयुक्त निदेशक, वित्त (स्थापना)  
रेलवे बोर्ड

(प्राधिकार: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 30.11.2009 एवं 31.12.2010 का कार्यालय ज्ञापन सं. ए45012/03/2008-सीएचएस-V)